

प्रेस-विज्ञप्तिथाना जहानागंज**01 देशी पिस्टल व 02 जिन्दा कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत दिनांक 19.11.2020 को प्र०नि० श्रीमती ज्ञानू प्रिया, के कुशल नेतृत्व में उ०नि० श्री रमेश कुमार पटेल मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त सिंह उर्फ जुगुनू पुत्र हरिकेश सिंह ग्राम धनहुआं थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को समय करीब 19.30 बजे धनहुआ पेट्रोल पम्प से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद पिस्टल 32 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 254//20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त अपने किये की बार-बार माफी मांगते हुए बता रहा है कि साहब गलती हो गयी अब दुबारा गलती नहीं करुंगा इस बार बचा लीजिए।

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु०अ०स० 254/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी:-

1- 01 अदद पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- ओमवीर सिंह उर्फ जुगुनू पुत्र हरिकेश सिंह ग्राम धनहुआं थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार करने वाली

पुलिस टीम का विवरण:-

1- प्र०नि० श्रीमती ज्ञानू प्रिया, थाना- जहानागंज, आजमगढ़।

2- उ०नि० श्री रमेश कुमार पटेल, थाना- जहानागंज, आजमगढ़।

थाना कंधरापुर**दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

लड़की के परिजन द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि मंतोष उर्फ विश्वनाथ पुत्र निर्भय निषाद साकिन तहर किशुन देवपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार घटना का संक्षिप्त विवरण आरोपी द्वारा एक लड़की के साथ लगभग 5 माह पूर्व जबरन शारीरिक संबंध बनाया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 83 /20 धारा 363 366 368 376 d भादवी व 5 बटे 6 पास्को एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए गए अभियान वांछित का भजन वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20 से 11 20 24 को वरिष्ठ उप निरीक्षक हमराही कर्मचारी गण के साथ देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित रोकथाम जरा एम जुर्म तथा पेंडिंग विवेचना मुकदमा अपराध संख्या 83 /20 धारा 363 366 376 भादवी व पांच बटे थे पास्को एक्ट का वांछित अभियुक्त कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली की उपरोक्त से संबंधित **अभियुक्त मंतोष उर्फ विश्वनाथ निषाद पुत्र निर्भय निषाद ग्राम तहर किशन देव और थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़** अपने घर पर मौजूद है उक्त सूचना पर उम्मीद गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई तो उपरोक्त अभियुक्त घर पर मौजूद मिला आरोपी मंतोष को उसके अपराध के बारे में बता कर समय करीब 8:30 बजे सुबह सुबह हिरासत पुलिस लिया गया अभियुक्त के गिरफ्तारी की सूचना मौके पर अभियुक्त परिजनों को दी गई। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।